न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या–33/2025

1. शेरसिंह पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमागनढ़।

–अपीलान्ट

बनाम

1. गिरधारी पुत्र गोरीशंकर जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमागनढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–असल रेस्पोडेन्ट

3. अनचाही पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमागनढ़।
4. महावीर पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमागनढ़।
5. रामकिशन पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमागनढ़।

6(7) विक्रम पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमागनढ़।

तरतीबी रेस्पोडेन्ट

7(8) बंशीलाल पुत्र धर्मपाल जाति जाट साकिन उज्जलवास।

9. शेरसिंह पुत्र तनसुख जाति जाट साकिन उज्जलवास।

10. नरेश पुत्र दीवान सिंह जाति जाट साकिन उज्जलवास।

उपस्थितः– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अपीलांट।

श्री हंसराज अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–3 ता 7

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या –8 ता 10

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़) ★ सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:36:41 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांकः–26.11.2025

अपीलांट शेरसिंह पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर द्वारा नायब तहसीलदार रामगढ़ के आदेश क्रमांक 45–46 दिनांक 11.06.202[illegible] को रास्ता खोलने के आदेश के विरूद्ध अपील पेश की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 33/2025 अनवान शेरसिंह बनाम गिरधारी आदि

अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी कृषि भूमि चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 137/135 की 14.6740 है0 भूमि है भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने नायब तहसीलदार रामगढ़ के यहां एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प0नं0 372/454 (186) के किला नं. 1 ता 5 में मन्जूर शुदा रास्ता है तथा यह रास्ता सदामत से चालु है लेकिन उक्त रास्ता को अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टगण ने बंद कर दिया जिसे खुलवाया जावे। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बिना किसी सूचना के तथा बिना मौका व दस्तावेजों की जांच किये दिनांक 11.06.2025 को रास्ता खोलने का आदेश पारित कर दिया, जो निम्न आधारों पर अपील योग्य है–

(1) अपीलकृत आदेश मनमाना व स्वैच्छाचारिता पूर्ण है तथा विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है।

(2) आदेश पारित करते वक्त नायब तहसीलदार ने मौका व रिकार्ड की जांच पड़ताल नहीं की तथा ना ही हमें सुनवाई का अवसर प्रदान किया। बिना सुनवाई किये तथा मनमाने तरीके से एकपक्षीय आदेश पारित किया है। जिसमें अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टगण के हितो का हनन होता है। इसलिए उक्त आदेश निरस्त किया जावे।

(3) मातहत अदालत ने उक्त आदेश जारी करते वक्त सुनवाई नहीं की तथा राजनैतिक दवाब में आकर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है।

(4) रास्ता कभी भी चालु नही रहा था तथा उक्त आदेश में सदामत से चालु शब्द लिखा है, जो खसरों में ही लागू होता है। उक्त भूमि किला व पत्थरों में है। इसलिए उक्त आदेश विधि विरूद्ध पारित किया है। जिसे निरस्त किया जावे।

अतः अपील अपीलान्ट पेश करके निवेदन है कि मातहत अदालत नायब तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 11.06.2025 को निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक नोटिस तलब किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 रजिस्टर्ड डाक से तामिल होनें के बाद भी उपस्थित नहीं हुये। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या–3 [illegible] की ओर [illegible]राज एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–8 ता 10 की ओर से श्री [illegible] एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–02 अधीनस्थ न्यायालय तहसील[illegible] नोहर से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष [illegible] बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:56:41 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि नायब तहसीलदार रामगढ़ के यहां एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि प0नं0

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

377 / 453 (186) के किला नं. 1 ता 5 में मन्जूर शुदा रास्ता है तथा यह रास्ता सदामत से चालु है वर्ष 1977 में ग्राम पंचायत उज्जलवास के निवासीयों द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प0नं0 377 / 453 की 377 / 454 में रास्ता खुलवाने बाबत निवेदन किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा चक नं0 11 बरानी के प0नं0 377 / 454 से 372 / 454 मे सदामत से चालू रास्ता को मंजूर कर आदेश जारी किया गया। जिसे न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ एंव माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा बहाल रखा गया। आपसी रंजीश के चलते प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। मौके पर पुराना रास्ता बंद है। नायब तहसीलदार रामगढ़ के आदेश को खारिज किया जाकर पत्रावली रिमाण्ड किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि रास्ता खुलवानें बाबत प्रार्थना–पत्र नायब तहसीलदार रामगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। चक 11 बरानी के प0नं0 372 / 454 के किला नं0 1 ता 5 में रास्ता पर विवाद है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा चक नं0 11 बरानी के प0नं0 377 / 454 से 372 / 454 मे सदामत से चालू रास्ता को मंजूर कर आदेश जारी किया गया। जो माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा बहाल रखा गया, जिसका अंकन जमाबंदी में नहीं पाया। नायब तहसीलदार रामगढ़ का रास्ता खोलने का आदेश दिनांक 11.06.2025 सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन करनें पर न्यायालय नायब तहसीलदार रामगढ़ द्वारा आदेश क्रमांक राजस्व / रा.खो.अ. / 2025 / 45–46 दिनांक 11.06.2025 को रास्ता खोलनें बाबत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबध में हल्का पटवारी से बिना जांच रिपोर्ट प्राप्त किये, नियमानुसार सदामत चालू रास्ता खोलनें का आदेश दिया गया, जो विधि सम्मत नहीं है।

अतः न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रामगढ़ द्वारा आदेश क्रमांक राजस्व / रा.खो.अ. / 2025 / 45–46 दिनांक 11.06.2025 दिनांक 11.06.2025 को पारित करनें में त्रुटि कारित की है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाकर धीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार [illegible] आदेश क्रमांक राजस्व / रा.खो. अ. / 2025 / 45–46 दिनांक 11.06.2025 दिनांक [illegible] किया जाता है एंव पत्रावली इस निर्देश के साथ नायब तहसीलदार रामगढ़ को प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि समस्त पक्षकारान को सुनवाई अवसर दिया जाकर, विवादित रास्ता का मौका निरीक्षण किया जाकर नियमानुसार निर्णय पारित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:36:41 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 33/2025 अनवान शेरसिंह बनाम गिरधारी आदि

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित संलग्न कर लौटाया जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 26/11/25 को सरेइजलास सुनाया गया

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:56:41 IST
Reason: SelfAttested